मौका रिपोर्ट
(विभाजन प्रस्ताव)

मैं रामप्रताप विश्नोई (नाम) तहसीलदार जायल, न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जायल के आदेश कमांक मैटेली/रीडर/2019/131 दिनांक 21/11/19 की पालना में भूमि के विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु आज दिनांक .... समय 2 बजे आराजी खसरा नम्बर 51 वाके ग्राम राजोद पटवार हल्का राजोद पर श्री किशनसिंह नायब तहसीलदार / भू अभिलेख निरीक्षक / पटवारी के साथ मौके पर पहुंचा। द्वारकेश व गोपालकृष्ण

न्यायालय सहायक कलेक्टर/उपखण्ड अधिकारी, जायल में विवाराधीन प्रकरण संख्या-11/2018 के समस्त पक्षकारों को तहसील कार्यालय से नोटिस कमांक 4102 दिनांक 28/6/22 द्वारा जारी किये गये थे जिनकी तामील विधिवत रूप से करवायी गयी। समस्त पक्षकारों में से मौके पर निम्न पक्षकार उपस्थित थे :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/ प्रतिवादी
1.	गंगादेवी	हीरपाराम		जाट	वादी
2	सीताराम	मोहनीदेवी		जाट	प्रतिवादी
~~3~~	~~[illegible]~~	~~मोहनीदेवी~~		~~जाट~~	~~प्रतिवादी~~

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम-1955 के नियम-18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये :-

मौके पर गंगादेवी पुत्री हीरपाराम वादी तथा सीताराम व भवनराम की पत्नि प्रतिवादी मिले, तथा मुगनाराम प्रतिवादी से दूरभाष पर बात की गयी उन्होंने न उपरोक्त चारों काश्तकारों मे गंगादेवी का राजस्व रिकॉर्ड अनुसार हिस्सा 1/2 है जिसके अनुसार कुल जमीन 17.6039 है. मे से 1/2 हिस्सा = 8.8019 है. होने चाहिए कि लेकिन वादी गंगादेवी के पास मौके पर 1.5783 है. जमीन ही है वादी द्वारा 1/2 हिस्सा की मांग गयी जिससे प्रतिवादी असन्तुष्ट मिले। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी मे आपस मे सहमति नही मिली। प्राथमिक डिग्री मरीम की पालना अनुसार वादी को प्रत्येक खेत मे से 1/2 हिस्सा रास्ते की स्थिति को मध्यनजर रखते हुए विभाजन प्रस्ताव मौके पर तैयार किया जो इस प्रकार है:-

प्रतिवादियों ने अपना हिस्सा आपसातें रखने को कहा। — 8.7.0

(i) गंगादेवी पुत्री बीरमाराम जाति जाट सा० डेह बालेसर

ख.न.	रकबा (है०)	किस्म	स्थिती
554	1.4933	बा०4	नक्शानुसार
808	0.7891	बा०3	"
466	1.0198	बा०3	"
256	1.0927	बा०3	"
873	0.5665	बा०3	"
341	0.5666	बा०3	"
438	1.2505	बा०3	"
436	2.0234	बा०3	"
कुल (8)	8.8019	—	

(ii) सीताराम श्रवणराम मुगनाराम पुत्र मोहनीदेवी जाति जाट सा० डेह बालेसर
साहिन RMGB शाखा जायल मुर्तहीन

ख.न.	रकबा	कि०	स्थिती
554	1.4933	बा०4	नक्शानुसार
808	0.7892	बा०3	नक्शानुसार
466	1.0198	बा०3	नक्शानुसार
256	1.0926	बा०3	नक्शानुसार
873	0.5666	बा०3	नक्शानुसार
341	0.5665	बा०3	नक्शानुसार
438	1.2505	बा०3	नक्शानुसार
436	2.0235	बा०3	नक्शानुसार
8	8.8020	/	/

[signature] पटवारी   [signature] पटवारी   1.7.0

उक्त विभाजन प्रस्ताव मौके पर उपस्थित पक्षकारों और मौतबिरानों को पढ़कर सुनाये गये। मौके पर उपस्थित पक्षकारों ने पढ़, सुन एवं समझ कर निम्न प्रकार हस्ताक्षर किये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	जाति	हस्ताक्षर	वादी/. प्रतिवादी.
1.	अंगीदेवी	बीरमाराम	जाट		वादी
2.	सीताराम	मोहनीदेवी	जाट	सीताराम	प्रतिवादी
~~3.~~	~~[illegible]~~	~~मोहनीदेवी~~	~~जाट~~		~~प्रतिवादी~~

निम्न पक्षकारों ने विभाजन प्रस्ताव पढ़, सुनकर, समझ कर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर दिया :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी/. प्रतिवादी.
1.	मुन्नाराम	मोहनीदेवी		जाट	प्रतिवादी
2.					
~~3.~~	~~हरकाराम~~	~~कुम्भाराम~~		~~जाट~~	~~अन्य~~

मौके पर अन्य मौतबिरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़कर सुनाये गये और निम्न प्रकार हस्ताक्षर करवाये गये :-

क.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	पता/. मोबाईल नं..
1.	हरकाराम	कुम्भाराम		जाट	(अ. नि. हरकाराम)
2.	गणपति	पु. प्रेमाराम		जाट	(अ नि गणपत)

इस प्रकार आज दिनांक 21/6/22 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई है।

हस्ताक्षर पटवारी पं. म. रामसर	हस्ताक्षर भू. अ. निरीक्षक वृत ...	हस्ताक्षर ना. तह.	हस्ताक्षर(मु.अ.) तहसीलदार ...नागौर..

राजस्व मुकदमा नंबर – 18 / 2019
जीसीएमएस नंबर – 2018 / 00106
गंगा देवी बनाम् सीताराम वगैरह

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

पीठासीन अधिकारी – श्री रवीन्द्र कुमार (आर.ए.एस.)

वादी –

1. गंगा देवी पुत्री बीरमाराम, जाति– जाट निवासी–राजोद तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

प्रतिवादीगण –

1. सीताराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
2. श्रवणराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
3. मुगनाराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
   जातियान–जाट निवासीगण राजोद तहसील जायल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

उपस्थिति –

1. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़, श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी सं. 4 स्वयं उपस्थित।

वाद बाबत् बंटवारा खेताय एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– : : निर्णय : :–

मुकदमा नं. 11 / 2018

दिनांक : 14/07/2022

वाद का सक्षिप्त में सार इस प्रकार है कि वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के संयुक्त कब्जे काश्त एवं हक अधिकार खातेदारी की भूमि ग्राम राजोद में खसरा नं. 256 रकबा 13.10 बीघा, खसरा नं. 341 रकबा 7 बीघा, खसरा नं. 436 रकबा 25 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 466 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नं. 554 रकबा 18.09 बीघा, खसरा नं. 808 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नं. 873 रकबा 7 बीघा कुल 108.15 बीघा कृषि भूमि वादीया के पिता बीरमारा पुत्र घमण्डाराम के जरिये विरासत के खातेदारी में प्राप्त हुई है। उक्त भूमि में 1/2 हिस्सा अर्थात 54.07 बीघा वादी एवं 54.08 बीघा प्रतिवादी संख्या 1 से 3 के हक हिस्से की भूमि है। प्रतिवादीगण वादीया के वृद्धावस्था का नाजायज लाभ उठाकर उक्त भूमि का विभाजन नही कर रहे है तथा न ही अलग–2 सींवे कायम करने के साथ साथ धमकीयां भी दे रहे है कि इस वर्ष खेताय में काश्त भी नही करने देगें। इसलिए वाद न्यायालय के समक्ष बाबत् बंटवारा खेताय एवं स्थाई निषेधाज्ञा का जरिये अधिवक्ता प्रस्तुत कर निवेदन किया वाद को स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को वादी के हक हिस्से एवं कब्जे काश्त की 1/2

14/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

हिस्से की भूमि 54.07 बीघा में किसी प्रकार दखलन्दाजी न करे तथा माफिक निर्णय राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहसीलदार जायल को आदेश फरमावे।

वादीनी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ने जरिये वकील श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ ने दिनांक 29.05.2018 के तथा प्रतिवादी संख्या 2 ने जरिये अधिवक्ता श्री बस्तीराम ढाका ने दिनांक 12.06.2018 को उपस्थित होकर राजीनामा पेश किया जो शामिल किया गया। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 बावजूद नोटिस तामील सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वाद के साक्ष्य स्वरूप वकील वादी ने नकल जमाबंदी ग्राम राजोद सम्वत् 2070–2073 खाता संख्या /235, ग्राम पंचायत राजोद से जारी वारिसान प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र बीरमाराम पेश की।

बहस उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात् नकल जमाबंदी ग्राम राजोद खाता संख्या 231/235 जिसमें वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 3 खातेदार दर्ज है। जो कि बीरमाराम के फौत होने पर जरिये विरासत पक्षकारान के नाम खातेदारी में दर्ज हुई होना प्रतीत होता है। वादीनी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के द्वारा प्रस्तुत राजीनामे में भी प्रतिवादी ने 1/2 हिस्सा वादीनी एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण (अर्थात 1/6 , 1/6, 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3) का होना प्रतीत होता है।

वादीनी गंगादेवी का वाद को आंशिक स्वीकार किया जाता है तथा मौजा राजोद के खसरा नं. 256 रकबा 13.10 बीघा, खसरा नं. 341 रकवा 7 बीघा, खसरा नं. 436 रकबा 25 बीघा, खसरा नं. 438 रकबा 15.09 बीघा, खसरा नं. 466 रकबा 12.12 बीघा, खसरा नं. 554 रकबा 18.09 बीघा, खसरा नं. 808 रकबा 9.15 बीघा, खसरा नं. 873 रकबा 7 बीघा कुल 108.15 बीघा अर्थात 17.6038 हैक्टेयर भूमि में वादी गंगादेवी का 1/2 हिस्सा की खातेदार कृषक दर्ज होने व प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने राजीनामा पेश कर वादी का 1/2 हिस्सा स्वीकार किये जाने व प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही होने से वादी का उक्त खेताय में से प्रत्येक खेत में से 1/2 हिस्सा अलग घोषित किया जाता है तथा प्रत्येक खेत में से प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का संयुक्त 1/2 हिस्सा होकर प्रत्येक प्रतिवादीगण का सभी खेताय में से 1/6 हिस्सा अलग–2 घोषित किया जाता है। प्राथमिक डिक्री पर्चा माफिक निर्णयानुसार जारी हो तथा तहसीलदार जायल को आदेश दिये जाते है कि मौजा राजोद के खेताय मे से प्रत्येक खेत में से 1/2 हिस्सा एक तरफ से वादीनी का रास्ते की स्थिति को मध्यनजर रखते हुये तथा प्रतिवादीगण का प्रत्येक खेत में से 1/6 हिस्सा अलग अलग दर्शाते हुये तथा नियम 18–22 की पालना करते हुये प्राथमिक वंटवाड़ा प्रस्ताव तैयार कर अविलम्बा भिजवाये। इस हेतु न्यायालय हाजा से दिनांक 01.11.2019 को प्राथमिक डिकी के आदेश पारित किये गये थे।

जिसकी पालना में दिनांक तहसीलदार जायल से उक्त निर्णय आदेश दिनांक 01.11.2029 की पालना में प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव जरिये पत्रांक 4348 दिनांक 8.7.2022 को प्राप्त हुआ। प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव पर वकुलाय/पक्षकारान् को सुना गया। वकुलाय ने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। हस्तगत प्रकरण में बंटवारा प्रस्ताव तहसीलदार जायल द्वारा पक्षकारान को नोटिस जारी किया जाकर मौके पर उपस्थित होकर तैयार किया गया है, उपस्थित पक्षकारान् में वादीनी गंगा देवी एवं प्रतिवादी सीताराम ने बंटवारा प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है एवं प्रतिवादीगण ने अपना हक बंट हिस्सा सामलाती रखने हेतु निवेदन किया। मौके पर उपस्थित को नजरीनक्शानुसार बंटवाड़ा प्रस्ताव

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

पढ़कर सुनाया गया। तथा उक्त बंटवारा प्रस्ताव मौके पर जाकर तैयार किये जाने की पुष्टि मौतबिरान हरकाराम व गणपति तथा भू.अभि.निरीक्षक दुगोली की उपस्थिति एवं हस्ताक्षर से होती है। जिन्होने प्राथमिक बंटवारा प्रस्ताव सही होना स्वीकार किया तथा माफिक बंटवारा प्रस्ताव अनुसार वाद को अन्तिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया। अतः मौजा राजोद के खेत खसरा नं. 554, 808, 466, 256, 873, 341, 438, 436 का बंटवाडा पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार हम वादीगण का वाद स्वीकार कर निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

– : : आदेश : : –

यत् वादीनी का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नं. 554, 808, 466, 256, 873, 341, 438, 436 का बंटवाड़ा पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिक्री किया जाता है।

1. वादीनी गंगा देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 554 में से रकबा 1.4933 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 808 में से रकबा 0.7891 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 466 में से रकबा 1.0198 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 256 में से रकबा 1.0927 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 873 में से रकबा 0.5665 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 341 में से रकबा 0.5666 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 438 में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 2.0234 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार कुल रकबा 8.8019 हैक्टेयर भूमि रखी जाकर खातेदार घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश सीताराम, श्रवणराम, मुगनाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 554 में से रकबा 1.4933 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 808 में से रकबा 0.7892 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 466 में से रकबा 1.0198 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 256 में से रकबा 1.0926 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 873 में से रकबा 0.5666 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 341 में से रकबा 0.5665 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 438 में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 2.0235 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार कुल रकबा 8.8020 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदार घोषित की जाती है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मय नजरीनक्शा वाद के निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का हक हिस्सा बैंक आरएमजीबी शाखा जायल के रहन है जो कि यथावत रहन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक 14/07/2022 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

14/07/2022
(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

राजस्व मुकदमा नंबर – 18/2019
जीसीएमएस नंबर – 2018/00106
गंगा देवी बनाम् सीताराम वगैरह

अंतिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला–नागौर,
व इजलास रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

1. गंगादेवी पुत्री बीरमाराम, जाति– जाट निवासी–राजोद तहसील जायल जिला–नागौर

बनाम

...दीगण –

1. सीताराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
2. श्रवणराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
3. मुगनाराम पुत्र मोहनीदेवी पुत्री बीरमाराम
   जातियान–जाट निवासीगण राजोद तहसील जायल
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जायल

...स्थिति –

1. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ वादी की ओर से उपस्थित।
2. अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़, श्री बस्तीराम ढाका प्रतिवादी सं. 1 से 2 की ओर से उपस्थित।
3. प्रतिवादी संख्या 3 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही
4. प्रतिवादी सं. 4 स्वयं उपस्थित।

वाद बाबत् बंटवारा खेताय एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

– : : डिकी आदेश : :–

मुकदमा नं. 11/2018 दिनांक : 14/07/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व श्री दशरथसिंह राठौड अधिवक्ता वादीनी मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 2 श्री नरेन्द्रसिंह राठौड़ एवं बस्तीराम ढाका अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 4 राजपैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कियत् वादीगण का वाद घोषणा हक खातेदारी एवं बंटवारा अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर मौजा राजोद के खेत खसरा नं. 554, 808, 466, 256, 873, 341, 438, 436 का बंटवाड़ा पक्षकारान्/सहखातेदारों के मध्य तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव अनुसार निम्न प्रकार अंतिम डिकी किया जाता है।

14/07/2022
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व मुकदमा नंबर – 18/2019
जीसीएमएस नंबर – 2018/00106
गंगा देवी बनाम् सीताराम वगैरह

1. वादीनी गंगा देवी के हक बंट कब्जा काश्त खातेदारी में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 554 में से रकबा 1.4933 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 808 में से रकबा 0.7891 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 466 में से रकबा 1.0198 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 256 में से रकबा 1.0927 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 873 में से रकबा 0.5665 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 341 में से रकबा 0.5666 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 438 में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 2.0234 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार कुल रकबा 8.8019 हैक्टेयर रखा जाकर खातेदार घोषित की जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 से 3 कमश सीताराम, श्रवणराम, मुगनाराम के संयुक्त हक बंट कब्जा काश्त सहखातेदारी में मौजा राजोद का खेत खसरा नंबर 554 में से रकबा 1.4933 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 808 में से रकबा 0.7892 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 466 में से रकबा 1.0198 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 256 में से रकबा 1.0926 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 873 में से रकबा 0.5666 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 341 में से रकबा 0.5665 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार, खसरा नंबर 438 में से रकबा 1.2505 हैक्टेयर, खसरा नंबर 436 रकबा 2.0235 हैक्टेयर नजरीनक्शानुसार कुल रकबा 8.8020 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदार घोषित की जाती है।
3. तहसीलदार जायल से प्राप्त पीडी प्रस्ताव मय नजरीनक्शा वाद के निर्णय का अभिन्न भाग माना जावेगा।
4. बैंक के रहन खसरान् के संबंध में संबंधित बैंक को सूचित हो। प्रतिवादीगण संख्या 1 से 3 का हक हिस्सा बैंक आरएमजीबी शाखा जायल के रहन है जो कि यथावत रहन रहेगा।

निर्णय आज दिनांक ..14/07/2022.......... को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर संरे इजलास सुनाया गया।

14/07/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल–(नागौर)

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

राजस्व मुकदमा नंबर – 18 / 2019
जीसीएमएस नंबर – 2018 / 00106
गंगा देवी बनाम् सीताराम वगैरह

तीज – मुबलिग – बाबत् –खर्चा इस मुकद्दमे के मय व भारह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 14/07/2022 को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बावत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मिजान			मिजान		

नोट :–इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

14/07/2022

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जायल (नागौर)